आनॅलाईन आवेदन करने के लिए विद्यालयों हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश हैं-

1. सभी विद्यालय यह सुनिश्चित कर लें कि अपने विद्यालय के परीक्षार्थियों के आनलाईन फार्म भरने उपरान्त उसकी हार्ड कापी निकालते हुए परीक्षार्थियों के विवरणों का मूल रिकार्ड से मिलान कर लें ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो।
2. परीक्षार्थियों का फोटो आवेदन फार्म में सम्बन्धित विद्यालय की वर्दी में लगाया जायेगा अन्यथा शिक्षा विभाग, हरियाणा के नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
3. जिन परीक्षार्थियों का नाम विद्यालय से आवेदन पत्र भरने से पूर्व कट चुका है ऐसे परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र न भरे जायें। जिन परीक्षार्थियों की दैनिक उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है और जिनका नाम विद्यालय से काट दिया गया है, उसकी सूचना परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व कारण दर्शाते हुए अनुक्रमांक स्लिप विद्यालय द्वारा बोर्ड कार्यालय में वापिस भेज दी जाये।
4. जो परीक्षार्थी एस0सी0/बी0सी0 श्रेणी में हैं और राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं तो उनका परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाना किन्तु माइग्रेशन शुल्क एवं प्रायोगिक विषय का शुल्क सभी परीक्षार्थियों का लिया जाना है।
5. आवेदन-पत्र शुल्क जमा करने से पूर्व सभी छात्र/छात्राओं के विवरण विद्यालय रिकार्ड से जांच लिये जायें।
6. निजी विद्यालयों के मुख्याध्यापक/प्राधानाचार्य दाखिला खारिज रजिस्टर के अन्तिम पृष्ठ पर जिला शिक्षा अधिकारी से प्रति हस्ताक्षर करवाते हुऐ आवेदन पत्रों के साथ Upload करेगें।
7. जिस परीक्षार्थी द्वारा अतिरिक्त विषय लिया गया है उस परीक्षार्थी का अतिरिक्त विषय शुल्क भरा जाना है।
8. गत वर्षों में ध्यान में आया है कि कुछ विद्यालय परीक्षा आरम्भ होने से कुछ दिन पूर्व बोर्ड कार्यालय में विषय शुद्धि हेतु आते हैं, जिससे कार्यालय एवं परीक्षार्थी को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः सभी विद्यालय मुखिया सुनिश्चित करें कि परीक्षार्थियों के आवेदन भरते समय संकाय अनुसार वही विषय भरें जिनका परीक्षार्थी द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। आवेदन समाप्ति की तिथि उपरान्त विषय शुद्धि नहीं की जायेगी।
9. सभी विद्यालय मुखिया यह भी सुनिश्चित करें कि परीक्षार्थी जिस जाति श्रेणी से सम्बन्ध रखता है उसके आवेदन में वही जाति श्रेणी भरी जाये। परीक्षा समाप्ति उपरान्त जाति श्रेणी में शुद्धि नहीं की जायेगी।
10. आवेदन करने उपरान्त हार्ड कापी से सभी परीक्षार्थियों के विवरण जैसेः- नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, आधार न0., जाति, लिंग, विषय, फोटो एवं हस्ताक्षर अपने मूल रिकार्ड से जाँच लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसे शुद्धि हेतु दी गई निर्धारित तिथियों में ठीक करवा लें। परीक्षा समाप्ति उपरान्त परीक्षार्थी के फोटो एवं हस्ताक्षर में बदलाव/शुद्धि नहीं की जाएगी।
11. विद्यालय द्वारा किसी भी नियमित छात्र का पंजीकरण विलम्ब शुल्क सहित निर्धारित तिथियों में नही किया जाता है तो केवल विशेष परिस्थितियों में तथा रिकार्ड दिखाने पर 5000/- रूपये प्रति परीक्षार्थी जुर्माने के साथ विचार किया जायेगा, परन्तु अन्तिम निर्णय बोर्ड अध्यक्ष लेगें।
12. एस0सी0/बी0सी0 श्रेणी के नियमित परीक्षार्थी जो पहले बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ट हो चुके हैं, परन्तु उत्तीर्ण नहीं हुए और उन्होंने अब पुनः विद्यालय में प्रवेश लेते हुए बोर्ड की पूर्ण विषयों की परीक्षा हेतु आवेदन करना है तो उसे Old Candidate की श्रेणी में माना जायेगा और उनको किसी प्रकार की परीक्षा शुल्क में छूट नहीं होगी।
13. सभी विद्यालय मुखिया सुनिश्चित करें कि उनके विद्यालय में अध्ययनरत नियमित परीक्षार्थियों के आनलाईन आवेदन करते समय फोटो एवं हस्ताक्षर दिये गये साईज अनुसार अपलोड किया जाना हैः- फोटोः- 50 KB 80 KB हस्ताक्षरः- 20 KB 30 KB.
14. मार्च-2021 की परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों की पहचान आधार कार्ड से की जानी है इसलिए सभी विद्यालय मुखिया सुनिश्चित करें कि सभी परीक्षार्थियों के आधार कार्ड में उनके नवीनतम फोटो अपडेट करवायें ताकि किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।
15. आवेदन फार्म भरते समय स्टाफ स्टेटमैन्ट्स भरनी अनिवार्य है।
16. स्कूल मुखिया यह सुनिश्चित कर ले कि सैकेण्डरी परीक्षा के लिये किसी भी परीक्षार्थी की आयु 1 मार्च 2021 को 20 वर्ष तथा सी0 सैकेण्डरी परीक्षा के लिए 1 मार्च 2021 को 22 वर्ष से अधिक न हो।
17. सभी स्कूल मुखिया आवेदन फार्म भरते समय स्कूल नाम, स्थान तथा अन्य विवरण भली प्रकार जांच ले।
18. सभी परीक्षार्थियों का आनलाईन पंजीकरण एक ही बार में करवाया जाना अनिवार्य है।

संस्था के मुखिया द्वारा निम्न बिन्दुओं की पालना की जानी हैः-

1. मैंने व्यक्तिगत रूप से सभी परीक्षार्थियों के निजी विवरण दाखिला खारिज रजिस्टर आदि से जांच लिए हैं तथा ये विद्यालय रिकार्ड अनुसार सही है। प्रत्येक विद्यार्थी के जो विवरण भरे गये हैं वे अभिभावकों से पुष्टि करवाकर भरे गये हैं।
2. इसमें से कोई भी परीक्षार्थी किसी भी परीक्षा में किसी बोर्ड/यूनिवर्सिटी द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया हैं।
3. सभी परीक्षार्थियों द्वारा पिछली कक्षा (सैकण्डरी कक्षा के आवदेन हेतु नौवी कक्षा एवं सीनियर सैकेण्डरी कक्षा के आवेदन हेतु ग्यारहवीं कक्षा) उत्तीर्ण की है तथा सैकण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा में प्रविष्ठ होने के पात्र हैं।
4. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सभी परीक्षार्थियो के परीक्षा आवेदन उसी संकाय अनुसार भरे गये हैं जिसकी स्वीकृति शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा विद्यालय को दी गई है।
5. कुल ☐ परीक्षार्थियों के विवरण आनलाईन आवेदन के द्वारा भरे गये हैं तथा किसी भी परीक्षार्थी का आवेदन फार्म लम्बित नहीं है।
6. परीक्षार्थियों द्वारा मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये हैं तथा फोटो भी परीक्षार्थी की है, जो कि सही है।
7. एस0सी0/बी0सी0 श्रेणी में होने के कारण जिनका परीक्षा शुल्क जमा नहीं करवाया गया ऐसे परीक्षार्थियों का प्रमाण-पत्र विद्यालय द्वारा सत्यापित कर दिया गया है।
8. गरीबी रियायत श्रेणी में होने के कारण जिन परीक्षार्थी/परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क जमा नहीं करवाया गया, ऐसे परीक्षार्थी/परीक्षार्थियों का प्रमाण-पत्र विद्यालय द्वारा सत्यापित कर दिया गया है।
9. विद्यालय द्वारा सभी परीक्षार्थियों के जो विवरण भरे हैं वे पूर्ण एवं सत्य हैं। इसमें विद्यालय द्वारा कोई विवरण गलत/छुपाया नहीं गया है, यदि कोई विवरण गलत होगा तो मैं स्वयं जिम्मेवार हूँगा।